

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक

हीरा लाल यादव पब्लिक स्कूल,

बेंती, सरोजनी नगर,

लखनऊ।

पत्रांक—बेसिक/मान्यता—स्थायी/ १०००

/2020-21 दिनांक २.३.२१

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा
नियमावली 2011 के अधीन पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक—बेसिक—एस०टी०/८५४९/२०१५—१६ दिनांक १७.०२.२०१६ द्वारा आपके विद्यालय को प्री प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल (नर्सरी से कक्षा—८) स्तर तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता निर्धारित अवधि के लिए प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या—८९/अरसठ—३—२०१८—२०४१/२०१८ दिनांक ११ जनवरी २०१९ एवं शासनादेश संख्या—१९६/अडसठ—३—२०२०—२०४१/२०१८ दिनांक २९ जून २०२० के कम में खण्ड शिक्षा अधिकारी की संरक्षित के आधार पर आपके विद्यालय की पूर्व में प्रदत्त अनंतिम मान्यता को नवीनीकृत करते हुए विद्यालय संचालित रखने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों/आदेशों का अक्षरण: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय बाध्य होगा।

भवदीय,

१८
(दिनेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ ५

पृ०सं० एवं दिनांक—उक्तावत्

प्रतिलिपि—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
- कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

MANAGER
Heeralal Yadav Public School
Benti,Sarojini Nagar,Lucknow-226401

PRINCIPAL
Heeralal Yadav Public School
Benti,Sarojini Nagar,Lucknow .